क्रम-संख्या—254

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 मार्च, 1984

चैत्र 6, 1906 शक सम्वत्

उत्तर-प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 678/सत्रह—वि0—1—1—(क)—34-1983

लखनऊ, 26 मार्च, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 23 मार्च, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1984)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह 23 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 16-गगग का संशोधन

2—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16-गगग में, उपधारा (1) में, शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 16-घ का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 16--घ में, उपधारा (8) में, स्पष्टीकरण दो में, शब्द और अंक "या उपधारा (8)" के स्थान पर शब्द और अंक "या उपधारा (6)" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

4---मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, मूल अधिनियम के उपबन्धों के जैसा कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

5---(1) इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 678(2)/XVII-V—1-1-(Ka)-34-1983

Dated Lucknow, March 26, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 23, 1984.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1984

[U. P. ACT NO. 6 OF 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 23, 1983.

Amendment of section 16-CCC of U. P. Act no. II of 1921.

2. In section 16-CCC of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "six months" the words "three years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted.*

Amendment of section 16-D.

3. In section 16-D of the principal Act, in sub-section (8), in Explanation II, in the Hindi version thereof, *for* the words and figure "या उपधारा (8)" the words and figure "या उपधारा (6)" shall be *substituted.*

Validation.

4. Notwithstanding anything contained in the principal Act, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as they stood immediately before the commencement of this Act, shall be and be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

5. (1) The Intermediate Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०---ए० पी० 435 सा० (विधा०)---(4413)---1984---750 (मैक०)।